

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 316/2011 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 22.01.2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना

एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

### **बनाम**

1. श्रीरामसिंह पुत्र रनधीरसिंह भदौरिया उम्र 60 वर्ष।
2. सूखे उर्फ रामेश्वर सिंह पुत्र रणधीरसिंह भदौरिया उम्र 50 वर्ष।
3. राजेश सिंह पुत्र श्रीरामसिंह भदौरिया उम्र 37 वर्ष।
4. राकेश सिंह पुत्र रामेश्वरसिंह भदौरिया उम्र 32 वर्ष।
5. जसवंत सिंह पुत्र नाथूसिंह भदौरिया उम्र 30वर्ष।
6. इन्द्रेणसिंह पुत्र नाथूसिंह भदौरिया उम्र 28 वर्ष।
7. जसरथसिंह उर्फ दशरथसिंह पुत्र नाथूसिंह उम्र 32 वर्ष।
8. रामकृष्ण सिंह उर्फ लला पुत्र श्रीराम सिंह भदौरिया उम्र 25 वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम खनेता तहसील गोहद, थाना एण्डोरी, जिला भिण्ड म.प्र.। .....अभियुक्तगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 847/2008 इ0फौ0  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 316/2011

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री राकेश भट्टेले अधिवक्ता।

---

// नि-र्ण-य //

// आज दिनांक 23-7-2015 को घोषित किया गया //

01. अभियुक्तगण का विचारण धारा 341, 294, 147, 323 विकल्प में 323/149 एवं 336 भा0दं0वि0 के आरोप के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 04.01.2008 को दोपहर के समय ग्राम खनेता थाना एण्डोरी क्षेत्र में फरियादी बीरेन्द्र का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर जिसका सामान्य उद्देश्य वल व हिंसा का प्रयोग करने का था जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए वल व हिंसा का प्रयोग कर वलबा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी बीरेन्द्र सिंह व आहत राजकुमार उर्फ मुन्नासिंह तथा रामाधार की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की एवं वैकल्पिक रूप से उन यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर सहआरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी बीरेन्द्रसिंह व आहत राजकुमार व रामाधार को चोटें पहुँचाने का सामान्य आशय निर्मित किया एवं उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त आहतों के साथ मारपीट कर आपने या आपमें में किसी ने स्वेच्छया उपहति कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर उतावलेपन व उपेक्षा से कटूटे से गोली चलाकर एवं पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 04.01.2008 को फरियादी बीरेन्द्र ने थाना एण्डोरी में एक लेखीय आवेदन झगडा होने पर गोली मारने की रिपोर्ट करने के संबंध में दिया। बीरेन्द्रसिंह का रास्ता श्रीराम, रामेश्वर एवं भारत के द्वार से होकर निकलता है। जिसका कि कुछ दिनों से उनके बीच विवाद था। जिसको लेकर अहिवरनसिंह ग्राम कोषड के समझाने आए और फरियादी को बुलाकर समझाते हुए रास्ते को लेकर चल रहे विवाद को निपटाने को कहा तब उसने रास्ते का सही हल निकालने को कहा फिर उन्होंने रामाधार को बुलाकर बात की जिसपर रम्मू ने अपनी सहमति दी इसके बाद उन्होंने नाथूसिंह एवं भारतसिंह को बुलाकर रास्ते के संबंध में चर्चा की। वह लोग चर्चा कर रहे कि श्रीरामसिंह, सूखे, राजेश, राकेश, जसरथ, जसवंत, इन्द्रेश और रामकृष्ण उर्फ लला एकराय होकर आए और गाली गलोज करने लगे और मना करने पर हमला कर लात घूसों से

मारपीट करने लगे एवं उसके दाहिने कंधे में लाठी मारी और राजेश ने रम्मू को घायल कर दिया जिससे उसके नाम पर लग गई और मुँह से खून निकल आया। वह लोग बचते हुए अजमेर के द्वारा से स्कूल के रास्ते के बीच से निकल कर रम्मू के दरवाजे पर आये और वह लोग अपने द्वार पर पहुँचकर उसे घर जाने का रास्त रोककर पत्थर फेंकने लगे एवं राजेश और जसवंत कट्टे से फायर करने लगे जो कि उन्हें मारने की नियम से कर रहे थे। गोलियों रामकुमार उर्फ मुन्ना को पेर में लगी। सोई वह लोग मुन्ना को लेकर थाने के लिए मरघट के रास्ते एण्डोरी रोड पर पुलिया के नाले पर चढ़े, वहाँ से वह लोग पैदल थाना आ रहे थे तो रास्ते में एण्डोरी की तरफ से आ रही जीप को रोककर थाना पहुँचे।

03. उक्त आवेदन पर से जाँच की गई एवं आहतों का मेडीकल परीक्षण कराया गया। उक्त जाँच पर से अपराध घटित होना पाए जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना एण्डोरी में अपराध क्रमांक 60/08 धारा 336, 294, 341, 323, 147 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लिए गए, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी राकेश से एक वांस की लाठी की जप्ती की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 147, 323 विकल्प में 323/149 एवं 336 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 04.01.2008 को दोपहर के समय ग्राम खनेता थाना एण्डोरी क्षेत्र में फरियादी बीरेन्द्र का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया?
2. क्या आरोपीगण द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

3. क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त दिनांक समय स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर जिसका सामान्य उद्देश्य वल व हिंसा का प्रयोग करने का था जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए वल व हिंसा का प्रयोग कर वलबा कारित किया?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी बीरेन्द्र सिंह व आहत राजकुमार उर्फ मुन्नासिंह तथा रामाधार की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की?

### बिकल्प में

क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर सहआरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी बीरेन्द्रसिंह व आहत राजकुमार व रामाधार को चोटें पहुँचाने का सामान्य आशय निर्मित किया एवं उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त आहतों के साथ मारपीट कर आपने या आपमें से किसी ने स्वेच्छया उपहति कारित की।

5. क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त दिनांक समय स्थान पर उतावलेपन व उपेक्षा से कटूटे से गोली चलाकर एवं पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया।

### —: सकारण निष्कर्ष:—

#### बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 5 :-

07. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 3 के अनुसार दिनांक 04.01.2008 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उन्होंने आहत रामकुमार का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें उक्त आहत की दांयी पिण्डली के नीचे की तरफ एक फटा हुआ घाँव 8 गुणा 5 गुणा 1.5 से.मी. आकार का था घाँव के अंदर कालापन मौजूद था और घाँव के किनारे सूजे थे। चोट की दिशा अंदर से बाहर की तरफ थी। अभिमत में उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त चोट किसी अग्नेयशस्त्र से 12 घण्टे के भीतर की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेडीकल के संबंध में क्वेरी रिपोर्ट उनके द्वारा दी गई थी जो कि आहत को आई हुई चोट दो फुट की दूरी से गोली चलाई

जाने से संभव होना बताया है। क्वेरी रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. डॉ० जी.आर.शाक्य अ०सा० 5बी के द्वारा दिनांक 07.01.8 को आहत रामाधार एवं आहत बिरेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण करना और आहत रामाधार के परीक्षण में उसकी नाक की जड़ में एक छिला हुआ घाँव गहरे कथई कलर का पाया जाना बताया है जो कि चोट सख्त एवं भौतरे हथियार से 36 घण्टे से 5 दिन के भीतर की रही होगी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 19 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार आहत बिरेन्द्र के मेडीकल परीक्षण में दाहिने कंधे पर एक नील की चोट जिसका आकार 6 गुणा 2 से.मी. एवं दूसरी चोट— नाक की जड़ तक एक छिला हुआ निशान कथई करन का जिसका आकार 1 गुणा आधा से.मी., दूसरी चोट— दाहिने कान पर छिला हुआ घाँव गहरा कथई कलर का जिसका आकार 1 गुणा आधा से.मी. का होना पाया था। सभी चोटें सख्त एवं भौतरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि 36 घण्टे से पांच दिन के भीतर की रही होगी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 20 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा अ०सा० 3 के कथन से स्पष्ट है कि आहत रामकुमार के शरीर पर बताई गई उपरोक्त चोटें घटना के पश्चात् मौजूद थी तथा डॉक्टर जी. आर.शाक्य अ०सा० 5बी के कथन से यह स्पष्ट है कि आहत रामाधार एवं आहत बीरेन्द्र के शरीर पर उपरोक्त बताई हुई चोटें घटना के पश्चात् मौजूद थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा फरियादी बीरेन्द्रसिंह का रास्ता रोककर उसे सदोष अवराध कारित किया? क्या आरोपीगण के द्वारा फरियादी को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली गलोज कर क्षोभ कारित किया? क्या आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर जिसका सामान्य उद्देश्य वल व हिंसा का प्रयोग करने का था वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया? क्या आरोपीगण के द्वारा आहत बीरेन्द्र, राजकुमार उर्फ मुन्ना और रामाधार की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की? क्या आरोपीगण के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षा से अग्नेयशस्त्र से गोली चलाकर एवं पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

11. घटना के संबंध में घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता बीरेन्द्र अ०सा० 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि गांव में उस दिन पंचायत हो रही थी जिसमें कि अहिवरनसिंह पंच बनकर आए थे। पंचायत निपट गई थी उसके बाद वहाँ कॉफी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से किन्हीं लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके साथ मारपीट की गई फिर वे थाना एण्डोरी गए थे और उक्त

आवेदनपत्र प्र.पी. 1 पर उसका नाम लिखा हुआ है। नक्शा मौका प्र.पी. 2 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कराए थे। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु सूचक प्रश्नों के दौरान साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आवेदनपत्र प्र.पी. 1 के तथ्य उसके द्वारा लिखाए गए थे और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा कट्टे आदि से फायर किया गया और मारपीट की घटना की गई। इस प्रकार पक्षद्रोही घोषित सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी के कथनों में अभियोजन प्रकरण का किसी भी प्रकार से समर्थन या पुष्टि होनी नहीं पायी जाती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके कहीं भी हस्ताक्षर नहीं हैं। आवेदनपत्र किसी ने लिखकर थाने पर दे दिया था और उसके हस्ताक्षर भी नहीं कराए थे एवं उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़कर भी नहीं सुनाई गई थी। इस बात को भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा कोई भी घटना उसके साथ एवं अन्य आहतों के साथ नहीं की गई है।

12. घटना का अन्य आहत रम्मू उर्फ रामाधार अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में भी केवल यह बताया गया है कि घटना दिनांक को आपस में पंचायत जुड़ी हुई थी और पंचायत निपट चुकी थी इसी दौरान काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वहाँ पर मारपीट में चोटें आई थी। उक्त साक्षी के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने का कोई तथ्य नहीं बताया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य या साक्ष्य नहीं आया है जिससे कि आरोपीगण के घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित या पुष्टि होता हो। घटना के अन्य आहत राजकुमार उर्फ मुन्ना की मृत्यु हो जाने से उसका कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया जा सका है।

13. अन्य अभियोजन साक्षी अहिवरनसिंह जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं की गई है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

14. अभियोजन साक्षी डी.एन. धनेले अ0सा0 6 तत्कालीन थाना प्रभारी थाना एण्डोरी जिनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्र.पी. 21 की रिपोर्ट लेखबद्ध की जानी बताई है, किन्तु इस

संबंध में स्वयं फरियादी बीरेन्द्र के द्वारा यह बताया गया है कि लिखित आवेदनपत्र जिसके आधार पर कि उक्त कायमी की जानी बताई गई है उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही उन्होंने कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का दिया है। ऐसी दशा में प्र.पी. 21 के दस्तावेज के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

15. प्रकरण के विवेचना अधिकारी बीरसिंह कुशवाह अ0सा0 7 जिन्होंने कि विवेचना के दौरान आहत तथा साक्षी अहिवरनसिंह के कथन लेखबद्ध करना एवं आरोपीगण की गिरफ्तारी कर प्र.पी. 9 लगायत 16 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार करना एवं आरोपी राकेश से वांस की एक लाठी जप्त करना तथा खून आलूदा शीलबंद पोटली जो कि सी.एच.सी. गोहद से लाया गई थी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 22 तैयार करना बताया है। इसके अलावा प्रधान आरक्षक तहसीलदार के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया जाना तथा साक्षी बीरेन्द्र, रामू और मुन्ना के कथन प्रधान आरक्षक तहसीलदार के द्वारा लेखबद्ध करना बताया है। विवेचना अधिकारी के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई उपरोक्त विवेचना की कार्यवाही के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

16. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में जबकि घटना दिनांक को आरोपीगण या किसी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूद होना अथवा उकने द्वारा ही कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में घटना के फरियादी एवं आहत तथा अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं की गई है तथा प्रकरण में कोई अन्य ऐसा साक्ष्य भी मौजूद नहीं है जिससे कि घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण की घटना में संलग्न होने की पुष्टि होती हो। ऐसी दशा में घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा फरियादी बीरेन्द्रसिंह का रास्ता रोककर उसे सदोश अवरोध कारित किया जाना अथवा घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर फरियादी को सार्वजनिक स्थान अथवा उसके निकट अश्लील गाली गलोज कर क्षोभ कारित किया जाना अथवा घटना दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग किया जाना अथवा आरोपीगण के द्वारा फरियादी बीरेन्द्र, आहत रामाधार और राजकुमार उर्फ मुन्ना को मारपीट कर उपहति कारित किया जाने अथवा आरोपीगण के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षा से कट्टे से गोली चलाकर एवं पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। अतः आरोपीगण को आरोपित अपराध धारा 341, 294, 147, 323 विकल्प में 323/149 एवं 336 भा0दं0वि0 के

आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. प्रकरण में जप्तशुदा एक वांस की लाठी तथा खून आलूदा पेंट, पोटली मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड